**Norms of Services of Telephone Consumers**

1280. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact what the Telecom. Regulatory Authority of India has proposed stringent norms of services to telephone consumers;

(b) whether it is also a fact that the Authority has proposed penalty including rebate to consumers for Variance from these standards; and

(c) if so, what are the details of the norms and penalties?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA).

(a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The Telecom. Regulatory Authority of India has issued a Consultation paper on Quality of Service in which proposal has been made for Quality of Service standards and has proposed pcnalatics for some of the service parameters e.g., Service Access Delay, Call Completion Ratio, Faults and Complaints. Provision of Service, Billing Performance. Customer Grievances Rcdrcs-sal Mechanism etc. These proposals are likely to be finalised after consultation with all concerned parties.

**Creation of Gurgaon Telecom. District**

1281. SHRI OSCAR FERNANDES: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Gurgaon Telecom. District has been created very recently;

(b) if so, whether Government propose to come out with the latest telephone directory of Gurgaon Telecom. District, if so, by, when; and

(c) if not, the reasons therefor and whether Government propose to post additional manpower for the Gurgaon Telecom. District?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) No, Sir.

(b) Docs not arise in view of (a).

(c) Does not arise in view of (a).

**डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के संबंध में मापदंड**

1282. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)सरकार द्वारा राज्यों में स्थित डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के संबंध में अब तक क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख)गत तीन वर्षो के दौरान किन-किन राज्यों में अब तक कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया हैं; और

(ग)वर्ष 1996-97 और 1997-98 तथा चालू वर्ष में अब तक महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया हैं?

**संचार मंत्रालय राज्य मंत्री ( श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ ) :** (क) उप डाकघर का प्रधान डाकघर के बतौर दर्जा बढ़ाने के लिए मानदंड

(i)किसी प्रधान डाकघर कका सृजन मौजूदा प्रधान डाकघर के लेखा-अधिकार क्षेत्र का विभाजन करके किया जाता है जब मौजूदा प्रधान डाकघर के अंतर्गत कार्य कर रहे उप डाकघरों की संख्या 60 से अधिक हो जाती हैं; (ii) विभाजन के पश्चात मौजूदा प्रधान डाकघर के अंतर्गत रहने वाले उप डाकघरों ककी संख्या 20 से कम नहीं होनी चाहिए, (iii) किसी जिले में भी एक प्रधान डाकघर सृजित किया जा सकता हैं, जब उस जिले में प्रस्तावित प्रधान डाकघर के लेखा अधिकार-क्षेत्र के अधीन रखे जाने के लिए 20 उप डाकघर मौजूद हों। तथापि, एक शर्त यह भी है कि पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में इन मानदंडों में छूट दी जा सकती हैं, यदि किसी उप डाकघर का प्रधान डाकघर के बतौर दर्जा बढ़ाने से अत्याधिक लाभ होता हो।

**विभाजीय उप डाकघर खोलने/उनका दर्जा बढ़ाने के लिए मानदंड**

ग्राममीण क्षेत्र में: जिस अतिरिक्त सविभागीय शाखा डाकघर का दर्जा

बढ़ाए जाने का प्रस्ताव हैं, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों मे 2400/-रू0 तथा जनजातीय व पहाड़ी क्षेत्रों में 4800/- रू0 हैं।

शहरी क्षेत्र में :

शहरी क्षेत्र में डाकघर को आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दर्शाना चाहिए ताकि यह आगे बनाए रखे जाने हेतु पात्र को हो सके। 20 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की न्यूनतम दूरी 1.5 कि0मी0 तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में 2 कि0मी0 से कम नहीं होनी चाहिए।। तथापि, दो वितरण डाकघर एक-दूसरे से 5 कि0मी0 से कम की दूरी पर नहीं होने चाहिए।

सर्किल अध्यक्षों को 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त्र में छूट का अधिकार हैं।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में कम से कम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिए।

(ख)वर्ष 1995-98 के दौरान जिन डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया, राज्यों के नामों के साथ संख्या निम्ननुसार हैं :

| राज्य | दर्जा बढ़ाए गए उप-डाकघरों की संख्या | दर्जा बढ़ाए गए अतिरिक्त विभागीय डाकघरों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| आध्र प्रदेश | - | 4 |
| असम | 1 | 5 |
| बिहार | - | 3 |
| दिल्ली | - | 14 |
| गुजरात | - | 15 |
| हरियाणा | - | 3 |
| हिमाचल प्रदेश | 1 | 4 |
| कर्नाटक | - | 4 |
| केरल | - | 26 |
| मध्य प्रदेश | - | 10 |
| महाराष्ट्र | - | 6 |
| उत्तर -पूर्व | | |
| -मणिपुर | - | 1 |
| -मेघालय | - | 1 |
| -नागालैण्ड | - | 1 |
| पंजाब | - | 2 |
| राजस्थान | - | 2 |
| तमिलनाडु | - | 10 |
| उत्तर प्रदेश | - | 9 |
| सिक्किम | - | 1 |

(ग)गुजरात मे नानापुरा एलएसजी उप डाकघर का प्रधान डाकघर के बतौर दर्जा 1998-99 में बढ़ाया गया था। 1996-97, 1997-98 के दौरान तथा चालू प्रदेश वर्ष में आज की तारीख तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में किसी भी उप डाकघर का दर्जा नहीं बढ़ाया गया हैं।

| राज्य का नाम | दर्जा बढ़ाए गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99(आज तक) |
| महाराष्ट्र | 3 | 1 | शून्य |
| मध्य प्रदेश | 5 | 2 | 1 |
| राजस्थान | शून्य | शून्य | शून्य |
| गुजरात | 11 | 1 | शून्य |